

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 412]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2016—आश्विन 12, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश

(पंजीयन भवन, 35-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011)

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

क्र. बी-4-11-2014-2-पांच (24).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 69 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) साथ पठित धारा 82-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से महानिरीक्षक पंजीयन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश दस्तावेज लेखक (अनुज्ञापन एवं विनियमन) नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, तथा उक्त अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित किए गए अनुसार इसे “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 1 में, उप-नियम (2) के अन्त में, अंग्रेजी पाठ में शब्द “Gazette” जोड़ा जाए.
2. नियम 15 में शब्द “विहित रीति में” के स्थान पर, शब्द तथा अंक (रोमन में) “विहित प्ररूप-तीन में” स्थापित किया जाए.
3. प्ररूप-तीन में, शब्द तथा अंक “(नियम 16 देखिए)” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “(नियम 15 देखिए)” स्थापित किया जाए.
4. प्ररूप-चार में, शब्द तथा अंक “(नियम 15 देखिए)” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “(नियम 14 देखिए)” स्थापित किया जाए.
5. प्ररूप-छह में, सारणी में, कॉलम (2) में अनुक्रमांक 1 में, शब्द तथा अंक “धारा 15” के स्थान पर, शब्द तथा अंक “धारा 25” स्थापित किया जाए.

शिवशेखर शुक्ला,
महानिरीक्षक पंजीयन मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2016

क्र. एफ-बी-4-11-2014-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-बी-4-11-2014-2-पांच (24), दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 4th October 2016

No. B-4-11-2014-2-V.—In exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (1) of Section 69 read with Section 82-A of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the Inspector General of Registration, with the previous approval of the State Government, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Documents Writers (Licensing and Regulation) Rules, 2014 and publishes the same in the Madhya Pradesh Gazette as required by sub-section (2) of Section 69 of the said act, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 1, in english version at the end of sub-rule (2) the word “Gazette” shall be added.
2. In rule 15 for the words “in the format prescribed” the words and figure (in Roman) “in the format-III prescribed” shall be substituted.
3. In format-III for the words and figure “(see rule 16)”, the words and figure “(see rule 15)” shall be substituted.
4. In format-IV for the words and figure “(see rule 15)”, the words and figure “(see rule 14)” shall be substituted.
5. In format-VI in the table, in column (2) at serial number 1, for the words and figure “Section 15” the words and figure “Section 25” shall be substituted.

SHIV SHEKHAR SHUKLA,
Inspector General of Registration Madhya Pradesh.